प्रतिवेद्य

माननीय सर्वोच्च न्यायालय
फौजदारी अपीलीय अधिकारिता

फौजदारी अपील संख्या 11042 /2018
विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 17321/2016 से उत्पन्न

विमला देवी एवं अन्य . ..अपीलार्थी (गण)

बनाम

नेशनल इन्सुरेंस कंपनी
कंपनी लिमिटेड एवं अन्य .....प्रत्यार्थी (गण)

निर्णय

अभय मनोहर सप्रे, न्यायमूर्ति श्री

1. अनुमति दी गई.

2. यह अपील दावेदारों द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ द्वारा SBCMA संख्या 1739/2007 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांकित 23.03.2015 के खिलाफ दायर की गई है, जिसमे उच्च न्यायालय ने दावेदारों द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया एवं MACT चोमू (जयपुर) द्वारा MAC वाद संख्या 48/2005 में पारित अधिनिर्णय दिनांकित 05.12.2005 की पुष्टि की।

3. मामले में उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर विचार करने हेतु, प्रासंगिक तथ्यों को रेखांकित

करना आवश्यक है।

4. अपीलकर्ता दावेदार / वादी हैं जबकि प्रत्यार्थी उस दावा याचिका के गैर-आवेदक / प्रतिवादी हैं जिससे यह अपील उत्पन्न हुई है।

5. लगभग 25 वर्षीय राजेंद्र प्रसाद 03.06.2003 को "चोमू" नामक स्थान पर जाने के लिए बस संख्या RJ-07-P-2151 में यात्रा कर रहा था. जब बस पुलिस स्टेशन, चोमू के पास पहुंची, तो एक ट्रक नंबर HR-55A-7729, जो कि चोमू से जयपुर की ओर जा रहा था तेज गति से आया और बस से टकरा गया। टक्कर का प्रभाव इतना प्रबल था कि राजेंद्र प्रसाद, जो बस के अंदर बैठे थे, गंभीर रूप से घायल हो जाने की वजह से उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। परिणामस्वरूप पुलिस थाना चोमू में एफआईआर नंबर 214/2003 दर्ज किया गया।

6. इस घटना के परिणामस्वरूप दो कानूनी कार्यवाही नामतः आपराधिक और दीवानी का उपक्रम हुआ, जहां तक आपराधिक कार्यवाही का संबंध है, दंडाधिकारी की अदालत में राज्य द्वारा हमलावर ट्रक के चालक के खिलाफ एक आरोप-पत्र (1/2003) भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ए के तहत (संक्षेप में, "भा.द .सं ") दायर की गई थी

7. जहाँ तक, इस अपील से संदर्भित दीवानी कार्यवाही का सम्बन्ध है वो अपीलकर्ताओं (दावेदारों) द्वारा जिनमे मृतक की पत्नी और दो नाबालिग बच्चे शामिल हैं ने बीमा कंपनी (प्रत्यार्थी संख्या 1), चालक (प्रत्यर्थी संख्या 2) एवं हमलावर ट्रक के मालिक (प्रत्यार्थी

संख्या 3) के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के धारा 166 (तदोपरांत "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) पूर्व में मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण, चोमू में दायर की गई थी , जिसमे उन्होंने अपने परिवार के एकमात्र आजीविका कमाने वाले सदस्य, राजेंद्र प्रसाद के असामयिक मृत्यु के कारण हुई क्षति के लिए उन्हें उचित मुआवजा देने का दावा किया है.

8. अपीलकर्ताओं ने अपनी दावा याचिका के साथ उन सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत किया, जो राज्य द्वारा चालक के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही में दायर किए गए थे, जैसे कि प्रथम सूचना रिपोर्ट , आरोप पत्र, नक्शा-नजरी, मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ट्रक न. एचआर-ए -7729 का पंजीकरण, बीमा कवरेज, यांत्रिक निरीक्षण रिपोर्ट, अधिनियम की धारा 133 के तहत मालिक को जारी नोटिस की प्रति आदि।

9. जहाँ तक, हमलावर ट्रक के चालक और मालिक का सम्बन्ध है, आरम्भ से ही दोनों कार्यवाही में एकपक्षीय रहे हैं. जहां तक बीमा कंपनी (बीमाकर्ता) का संबंध है, उन्होंने स्वतः उपस्थित होकर लिखित बयान दर्ज किया। हालांकि, बीमा कंपनी ने अपने लिखित बयान में कहा कि पहले तो, ट्रक के मालिक ने बीमा कंपनी को कोई सूचना नहीं दी; दूसरे, बस के मालिक और चालक को कार्यवाही में पक्ष के रूप में नहीं लिया गया था; और तीसरा हमलावर ट्रक के मालिक ने चालक कंपनी के ड्राइविंग लाइसेंस की एक प्रति बीमा कंपनी को नहीं भेजी, ताकि वे इसकी वास्तविकता के बारे में जांच कर सकें (अधिनिर्णय के पैरा 3 देखें)।

10. दावेदारों ने अपने मामले के समर्थन में तीन गवाहों को प्रस्तुत किया । बीमा कंपनी ने किसी भी गवाह को प्रस्तुत नहीं किया। 05.12.2005 के अधिनिर्णय द्वारा, ट्रिब्यूनल ने अपीलकर्ताओं के दावे की याचिका को खारिज कर दिया। यह माना गया कि दावेदार हमलावर ट्रक से हुई दुर्घटना जिसके परिणामस्वरूप राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु हुई साबित करने में विफल रहे। यह माना गया था कि यद्यपि दावेदारों ने दस्तावेज दायर किए थे, लेकिन चूंकि उन दस्तावेजों का प्रदर्शन नहीं किया गया था, इसलिए बीमा कंपनी दस्तावेजों पर दावेदारों के गवाहों से जिरह नहीं कर सकी। संक्षेप में, ट्रिब्यूनल ने अभिनिर्धारित किया कि दावेदार सबूतों के अभाव में दुर्घटना को साबित करने में नाकाम रहे और जो सबूत प्रस्तुत किया गया, उसका प्रदर्शन न किये जाने की वजह से वो व्यर्थ हो गया। दावा याचिका को मूलतः उपरोक्त दो निष्कर्षों पर खारिज कर दिया गया।

11. दावेदारों ने व्यथित होकर राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ में अपील दायर कर दी. उच्च न्यायालय ने आलोच्य आदेश के द्वारा कर अपील ख़ारिज कर दी जिसके परिणामस्वरूप
दावेदारों ने वर्तमान अपील को विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से न्यायालय में दायर किया।

12. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री मारूफ खान एवं प्रतिवादी न. 1 के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री मीनाक्षी मिधा को सुना गया ।

13. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने एवं मामले के पत्रावली का अवलोकन पश्चात् हम अपील की अनुमति देते हैं और आलोच्य आदेश को ख़ारिज करते हुए अपीलकर्ताओं (दावेदारों) द्वारा दायर दावा याचिका को स्वीकार किया जाता है. अपीलकर्ताओं को निम्नलिखितानुसार उचित मुआवजा प्रदान किया जाता है।

14. हमारे विचार में, अपीलकर्ताओं के दावे की याचिका / अपीलको खारिज करने के लिए ट्रिब्यूनल और उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण, तर्क और निष्कर्ष विधि अनुरूप नहीं थे क्योंकि दोनों ने मामले में उत्पन्न होने वाले किसी भी मुद्दे पर विचार नहीं किया। उच्च न्यायालय ने अपील को खारिज करते हुए बिना कोई कारण बताए ट्रिब्यूनल के अधिनिर्णय की सिर्फ पुष्टि कर दी।

15. मामले के तथ्यात्मक पहलुओं की जांच करने से पूर्व उस अधिनियम के प्रावधानों पर ध्यान देना उचित होगा जो दावा याचिका के निर्णय के लिए प्रासंगिक है।

16. यह पुनः कहना चाहेंगे की इस प्रकार मामलों में इस अदालत ने पहले भी कहा है की यह अधिनियम, मोटर दुर्घटना के उन पीड़ितों को राहत देने के लिए एक लाभदायक कानून है जो शारीरिक चोट से पीड़ित है या जिनकी असामयिक मृत्यु हो गई हैं। अधिनियम इस तरीके से बनाया गया है, जो पीड़ितों को उन कानून के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करने से राहत देता है जो दुर्घटना में हुए क्षतिपूर्ति के मुआवजे के दावे हेतु अधिनियम के तहत दायर दावा याचिका पर

मुकदमा चलाने और वाद सम्बन्धी अन्य कार्यवाहियों पर अन्यथा लागू होते हैं ।

17. धारा 158 के तहत मोटर वाहन चालक मोटर के उपयोग के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा मांगे जाने पर कुछ प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट प्रसतुत करने पर बाध्य होता है । उप-धारा (6) के तहत, जिसे 1994 में संशोधन के माध्यम से धारा 158 में जोड़ा गया था, किसी दुर्घटना में हुए मृत्यु या किसी व्यक्ति को आये शारीरिक चोट से सम्बंधित एफआईआर / रिपोर्ट की एक प्रति सूचना प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर अधिकार-छेत्र के दावा न्यायाधिकरण एवं एक प्रति सम्बंधित बीमाकर्ता को प्रेषित करने को बाध्य होता है. अगर सूचना की एक प्रति हमलावर वाहन के चालक को उपलब्ध कराई गई है तो इस उपधारा के तहत वह उस सूचना को दावा न्यायाधिकरण और वाहन बीमाकर्ता को अग्रसारित करने को बाध्य है

18. दावा अधिकरण, इस रसीद पर उपलब्ध दुर्घटना की रिपोर्ट को दावेदारों द्वारा धारा 166 (4) के अधिनियम के तहत मुआवजा पाने हेतु किये गए आवेदन के रूप में प्रयोग करने के लिए सशक्त हैऔर इस प्रकार योग्यता के आधार पर इस तरह के आवेदन को विधि अनुसार निर्णीत करने का अधिकार रखता है।

19. अधिनियम की धारा 158 (6) सपठित धारा 166 (4) का उद्देश्य दावेदारों के दावा याचिका दायर किए बिना दुर्घटना के एफआईआर के प्राप्ति के एक माह के भीतर दुर्घटना के दावे के पंजीकरण को अनिवार्य करके दावे के मामलों के लंबित रहने की अवधि को काम करने और क्षतिपूर्ति राशि के निर्धारण की प्रक्रिया को तेज करना

है. (जय प्रकाश बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 2010 (2) एससीसी 607 देखें)।

20. अधिनियम की धारा 140, धारा 163-ए और अधिनियम की धारा -166 दावा अधिकरण को दावेदारों को मुआवजा प्रदान करने का अधिकार प्रदान करती है.

21. जहाँ तक अधिनियम की धारा 140 का सम्बन्ध है इसके तहत त्रुटिरहित देयता के सिद्धांत पर आधारित मुआवजे के मामलों का निपटान होता है.

22. जहां तक अधिनियम की धारा 163A का संबंध है, यह मुआवजे के भुगतान के विशेष प्रावधानों से संबंधित और द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट संरचित समीकरण पर आधारित है.

23. अधिनियम की धारा 140 और धारा 163A के तहत देय मुआवजे का दावा करते समय, दावेदार को अधिनियम के धारा 140 (4) और धारा अधिनियम की 163A (2) के आधार पर किये गए दावे से संबंधित व्यक्ति के किसी भी गलत कृत्य, उपेक्षा या चूक को साबित करने की आवश्यकता नहीं है।

23. अधिनियम की धारा 140 और धारा 163A के तहत देय मुआवजे का दावा करते समय, दावेदार को अधिनियम के धारा 140 (4) और धारा अधिनियम की 163A (2) के आधार पर किये गए दावे से संबंधित व्यक्ति के किसी भी गलत कृत्य, उपेक्षा या चूक को साबित करने की आवश्यकता नहीं है।

24. जहाँ तक अधिनियम की धारा 166 का संबंध है, इसके तहत यह मुआवजे के भुगतान से भी सम्बंधित है। अधिनियम की धारा 168 दावा अधिकरण के अधिनिर्णय से संबंधित है, जबकि अधिनियम की धारा 169 दावा अधिकरण को प्रक्रियागत शक्तियां प्रदान करती है। जैसा कि इस न्यायालय (तीन जजों की बेंच) द्वारा प्रतिपादित किया गया है, अधिनियम के तहत दायर दावा याचिका न तो एक वाद है और न ही पारंपरिक अर्थों में एक प्रतिकूल सूचना है, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जो अध्याय XII के प्रावधानों से संदर्भित और विनियमित है। यह अधिनियम
अपने आप में एक पूर्ण संहिता है। (यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम शिला दत्ता एवं अन्य देखें, 2011 (10) एससीसी 509)।

25. विधि के पूर्वोक्त सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, जब हम उस मामले के तथ्यों का परीक्षण करते है तो हमारा मत यह है कि दावा अधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्ताओं के
दावे की याचिका खारिज करना न्यायसंगत नहीं था। हमारे विचार में अपीलकर्ताओं के दावे की याचिका स्वीकार कर अपीलकर्ताओं को विधि अनुसार उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसके निम्नलिखित कारण हैं।

26. सबसे पहले, अपीलकर्ताओं ने दुर्घटना और हमलावर वाहन के चालक की तेज और लापरवाह ड्राइविंग के, जिसके परिणामस्वरूप राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु हो गई थी पर्याप्त सबूत प्रस्तुत किये।

27. दूसरा, अपीलकर्ताओं ने दुर्घटना के तथ्य और उसमें शामिल व्यक्तियों को साबित करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत किए।

28. तीसरा, दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से दुर्घटना में शामिल ट्रक की पहचान, ट्रक चालक की पहचान, ट्रक के मालिक की पहचान, हमलावर ट्रक के बीमाकर्ता का नाम, ट्रक का बीमा कवरेज की अवधि, दुर्घटना के संबंध में संबंधित पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई प्राथमिकी का विवरण दिया है ।

29. हमारे विचार में, दुर्घटना के तथ्य और उसमें शामिल व्यक्तियों को साबित करने के लिए अपीलकर्ताओं द्वारा दायर किए गए दस्तावेजों के अलावा और कौन से दस्तावेज प्रस्तुत किए जा सकते थे ।

30. चौथा, जहां तक ट्रक के ड्राइवर और मालिक का संबंध था, दोनों आरम्भ से ही एकपक्षीय रहे हैं अतएव उन्होंने न तो अपीलकर्ताओं के दावा याचिका का सामना किया और न ही दावा याचिका और साक्ष्य में अपीलकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज करने के लिए गवाह बॉक्स में प्रवेश किया। दोनों के खिलाफ एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

31. पांचवां, जहां तक बीमा कंपनी का संबंध है, उन्होंने अपीलकर्ताओं के साक्ष्य को

खारिज करने के लिए किसी भी गवाह को प्रस्तुत नहीं किया। बीमा कंपनी हमलावर ट्रक के चालक को अपने गवाह के रूप में प्रस्तुत कर साक्ष्य प्रस्तुत कर सकती थी लेकिन ऐसा नहीं किया गया ।

32. छठी, दूसरी ओर, अपीलकर्ताओं ने तीन गवाहों को प्रस्तुत किया और इस तरह मामले को साबित करने के लिए अपने आरंभिक कर्तव्य को पूरा किया ।

33. सातवें, यदि, साक्ष्य अभिलेखन के दौरान अपीलकर्ताओं के उल्लेख करने के बावजूद दस्तावेजों को प्रदर्शित नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में, अपीलकर्ताओं को इस आधार पर मुआवजे का दावा करने के उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। हमारी राय में, यह कुछ नहीं बल्कि एक प्रक्रियात्मक चूक थी, जिसे दावे की याचिका को खारिज करने का आधार नहीं बनाया जा सकता। विशेषकर तब जब अपीलकर्ताओं ने अपने मामले को साबित करने के लिए मखिक और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये और प्रत्यार्थीयों ने उनके जवाब में कुछ नहीं किया ।

34. उपर्युक्त सात कारणों के आलोक में, यह निष्कर्ष निकलता है कि अपीलकर्ता दुर्घटना के तथ्य को सिद्ध करने में सक्षम रहे. इससे साबित होता है की चालाक के लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने के वजह से दुर्घटना हुई. यह भी साबित होता है की समय हमलावर ट्रक का बीमा प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा किया गया था और ट्रक प्रतिवादी नंबर 3 के स्वामित्व में था।

35. अब अगला प्रश्न यह है की अपीलकर्ता अपने अर्जक -राजेंद्र प्रसाद की मौत के दावा करने के लिए कितने मुआवजे के हकदार है।

36. साक्ष्य में यह आया है की मृतक की उम्र लगभग 25 वर्ष थी और वह अपने पीछे अपनी पत्नी और दो नाबालिग बच्चों को छोड़ गया। यह भी सबूत है कि वह प्रति माह लगभग 10,000 / - कमाता था।

37. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को देखने के पश्चात्, हम उनकी मासिक आय 5000 /- रूपये मान लेना उचित मानते हैं। व्यक्तिगत खर्चों के लिए एक-तिहाई भाग घटाने पर, लगभग 3300 /- रूपये बनते हैं। अपीलकर्ता 40% की दर से भविष्य के संभावित नुकसान का दावा करने के भी हकदार हैं, जो 1,320 /- रूपये है और इस तरह से कुल 4620 /- रूपये की आय निकलती है। 18 के गुणक को लागू करने पर, 4620 x 12 x 18 = 9,97,920 /- रूपये प्राप्त होते हैं।

38. उपर्युक्त राशि में अंत्येष्टि खर्च के लिए 15,000/- रूपये, संपत्ति के नुकसान के लिए रु। 15,000/- रूपये और दंपत्ति और अभिभावक संघ के नुकसान के लिए 100000/- रूपये निश्चित करते हैं. इस प्रकार, अपीलकर्ताओं (दावेदारों) को कुल मिलकर प्रत्यार्थीयों से मुआवजे के रूप में 11,27,920 /- रुपये का दावा करने का हकदार माना जाता है। इस न्यायालय द्वार अधिनिर्णीत देय राशि पर दावा करने की तिथि से लेकर प्राप्ति तक 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगेगा।

39. पूर्वगामी चर्चा के मद्देनजर, अपील सफल होती है और स्वीकार की जाती है। आलोच्य

आदेश को रद्द किया जाता है। अपीलकर्ताओं के दावा याचिका को आंशिक रूप से प्रत्यार्थीयों के विरूद्ध संयुक्ततः और पृथकतः स्वीकार किया जाता है.

40. प्रत्यार्थी नंबर 1-बीमा कंपनी को उचित सत्यापन के बाद अपीलकर्ताओं को भुगतान करने के लिए दावा अधिकरण को 3 माह के भीतर निश्चित राशि जमा करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

..... न्यायमूर्ति श्री [अभय मनोहर सप्रे]

..... न्यायमूर्ति श्रीमती [इंदु मल्होत्रा]

नई दिल्ली;
16 नवंबर, 2018

खंडन (डिस्क्लेमर) : स्थानीय भाषा निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सिमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता. समस्त व्यावहारिक एवं कार्यालयीन प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ क्षेत्र धारित करेगा I